विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 04/2015

उनवान

बंशीधर वगैरह **बनाम** श्रीमति सोनम अग्रवाल वगैरह

उपस्थितः–

1. श्री दयानिधि पारीक , वकील प्रार्थी।
2. श्री परमेश्वरी लाल माथूर , वकील अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

निर्णय दिनांक 6.12.2016

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उपस्थित। प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी बंशीधर वगैरह की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब कतई मिथ्या अभिवचनों व वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर कतई नये अभिवचन अंकित करते हुए कि चाह खसरा नम्बर 3754 का लगभग पचास वर्षों से स्थल पर कोई अस्तित्व नहीं हैं, प्रभू दयाल के उत्तराधिकारी पुत्र मोहनलाल व रामावतार तथा पुत्रियां प्रेमदेवी, सीतादेवी, कृष्णादेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं, प्रार्थीगण के पास on spot alternative रास्ता है, रिट पीटीशन संख्या 2760/2001 में प्रार्थीगण ने विवादित आराजीयात में आने–जाने का कोई रास्ता न होने के कथन अभिलिखित नहीं कियें हैं, खसर नम्बर 3755/1 के पूर्व की ओर आराजी खसरा नम्बर 3756 जो जेडीए की खातेदारी की पडत जमीन हैं, पृथक खसरा नम्बर 3756 बंजड जमीन में रास्ता कानूनन कायम करा सकते हैं जो आसानी से दिया जा सकता हैं, आदि प्रस्तुत किया हैं, जिनको प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय विधिक रूप की कोई जानकारी नहीं रही थी। उक्त तथ्य कतई नये तथ्य हैं जिनका खुलासा करते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का जवाब उल जवाब दिया जाना आवश्यक हो गया हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों का प्रार्थीगण द्वारा जवाब उल जवाब नहीं दिया गया तो उक्त अभिवचन अखण्डित रह जायेंगे जिन्हे कतई गलत रूप से प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार कर लिये जाने की गलत उपधारणा कर ली जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र तहत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी मय जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 ता 7 का जवाब उल जवाब पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने जिस प्रकार के कथन लिखे है असत्य है, अस्वीकार हैं। उत्तरदाता

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का पूर्ण उत्तर सही व स्पष्ट रूप में दिया है कोई भाग मिथ्या नहीं हैं।

उत्तरदाता विपक्षीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार के ऐसे कथन नही लिखे है जिनका ज्ञान प्रार्थीगण को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 आर.टी.एक्ट के समय नही था।

प्रार्थीगण का यह कथन कि चाह खसरा नम्बर 3754 का स्थल पर अस्तित्व में नही होने का कथन नया कथन नही हैं। इस तथ्य का ज्ञान प्रार्थीगण को शुरू से ही है आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न ही बनाने का दोष सुस्पष्ट हैं। रिट पिटिशन व शपथ पत्र प्रार्थीगण की ओर से मान्य उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी उसके पूर्ण कथन प्रार्थीगण के स्वयं के ज्ञान के है कानून इनको इनकार नही कर सकते है on spot alternative रास्ता के कथन प्रार्थीगण के पूर्व ज्ञान के कथन है नये नहीं हैं। प्रार्थीगण को उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने का कानूनन तथा न्यायानुसार कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण उत्तरदाता विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत पूर्ण जवाब का पूर्ण जवाब तथाकथित जवाब उल जवाब की आड में प्रस्तुत करने का कानूनन तथा न्यायानूसार कोई अधिकार नहीं हैं। इसको रिकार्ड पर लिये जाने में विपक्षीगण को असहाय क्षति होगी जो कानून व न्याय की मंशा नहीं हैं।

जवावुल जवाब को रिकार्ड पर न लिये जाने से प्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित जवाब उल जवाब जो पूर्ण नया जवाब दावा है आदेश 8 नियम 9 जाप्ता दीवानी के क्षेत्र के बाहर का है जो कानूनन तथा न्यायानूसार रिकार्ड पर नही लिया जा सकता हैं।

अतः जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे सहित खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रा0 पत्र पर सुनी गई। प्रा0 पत्र व जवाब प्रा0 पत्र आदेश 8 नियम 9 का बतौर अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रा0 पत्र में उल्लेख किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मिथ्या अभिवचन वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर नये तथ्य अंकित किये गये हैं। नये तथ्यों का जवाब में खुलासा करने का प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। यदि न्यायालय के समक्ष समस्त प्रकार के तथ्य खुलकर आते हैं तो न्यायालय को न्याय करने में सुगमता रहती हैं। यदि प्रा0 पत्र आदेश 8 नियम 9 सी0पी0सी स्वीकार किया जाता हैं तो किसी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 स्वीकार किया जाकर जवाब उल जवाब रिकार्ड पर जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी चौमू (जयपुर)

असोक कुमार यादव
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

मु.न. 04/2015

उनवान

1. बंशीधर पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
2. महेश कुमार स्व0 श्री प्रभूदयाल
3. रामावतार पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी खालसावाली कोठी, सन्तों की ढाणी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. श्रीमति सोनम अग्रवाल पत्नि जितेन्द्र अग्रवाल, जाति महाजन (अग्रवाल) निवासी 4/1 सिंहाल भवन, पूर्वी खेतडी हाऊस, चान्दपोल गेट बाहर, जयपुर।
2. श्रीमति पायल पत्नि राजेश अग्रवाल, जाति महाजन (अग्रवाल), निवासी 25 विवेकानन्द कॉलोनी पूर्वी खेतडी हाऊस, चान्दपोल गेट बाहर, जयपुर।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मोरीजा मे पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अन्य आराजीयात के अलावा भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 3753/2 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3755/2 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर भूमि जिसके गत खसरा नम्बर 1409 व 1407 तथा गत से गत खसरा नम्बर 6, 7, 9, 10, 11 वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता प्रभू दयाल पुत्र बिरदीचन्द की एकमात्र कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो भूमि प्रभूदयाल की स्व–अर्जित सम्पत्ति रही है व चाह खसरा नम्बर 3754 रकबा 0.01 हैक्टेयर में स्व0 प्रभू दयाल का 1/2 हिस्सा निहित रहा हैं।

प्रभुदयाल पुत्र बिरदीचन्द का दिनांक 22.08.2007 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रभूदयाल ने अपनी जीवित अवस्था में ही दिनांक 17.10.2002 को अपनी समस्त सम्पत्तियों के बारे में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करते हुए अपनी सम्पत्ति को अपने वारिसों में वसीयती रूप से अपनी अन्तिम ईच्छा अनुसार वसीयती रूप से प्रदान कर दिया। भूमि वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र को, प्रार्थीगण को पिता प्रभूदयाल ने जरिये रजिस्टर्ड वसीयत प्रदान किया। इस प्रकार प्रभू दयाल पुत्र बिरदीचन्द की मृत्यु हो जाने से अब प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी हैं जो उक्त भूमि पर एकमात्र रूप से प्रत्येक प्रकार से काबिजकाश्त होकर लाभ उठाते चले आ रहे हैं।

भूमि वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र के अग्र भाग पर उत्तरी ओर भूमि खसरा नम्बर 3753/1 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3755/1 रकबा 0.39 हैक्टेयर स्थित है जिन भूमियों की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बाद खरीद काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनके अग्रभाग पर चौमूं से चन्दवाजी जाने वाला आम रास्ता सडक स्थित है तथा पश्च

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

भाग पर अर्थात खसरा नम्बर 3753/1 व 3755/1 की दक्षिणी सीमा पर व खसरा नम्बर 3753/2 व 3755/2 की उत्तरी सीमा पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा पुख्ता दीवार का निर्माण किया हुआ हैं।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में चौमूं से चन्दवाजी जाने वाली रोड पर आने जाने हेतु या अन्य किसी प्रकार के रास्ते पर आने–जाने हेतु तथा चाह खसरा नम्बर 3754 में आने–जाने हेतु प्रार्थीगण के पास किसी भी दिशा में कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है अर्थात प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु कोई भी रास्ता ना तो राजस्व रेकार्ड में, ना ही मौके पर मौजूद है जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में काश्त करने में आने–जाने में काफी असुविधा का सामना करना पडता हैं।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/2, 3755/2 में तथा चाह खसरा नम्बर 3754 में आने–जाने हेतु रास्ता मौजूद नहीं होने से व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का विकल्प नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/1, 3755/1 में से प्रार्थीगण को 30 फिट चौडे रास्ते की अति आवश्यकता हैं। इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/1 के पश्चिमी सींव पर 30 फिट चौडा रास्ता उत्तर से दक्षिण चौमूं से चन्दवाजी जाने वाली रोड से भूमि खसरा नम्बर 3753/2 की सीमा तक दिया जाना आवश्यक है व अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 से खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/1 के दक्षिणी सींव पर 30 फिट चौडाई तक निर्मित की गई दीवार को हटाया जाना अति आवश्यक है जिसके बदले प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रास्ते में प्राप्त होने वाली भूमि के बराबर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रास्ते में प्राप्त होने वाली भूमि के बराबर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/1, 3755/1 के दक्षिणी सींव पर देने हेतु तैयार हैं अन्यथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उक्त रास्ते में प्राप्त होने वाली भूमि की डीएलसी रेट का मुल्य व दीवार हटाने में हुए खर्चे को देने को तैयार हैं। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी प्रदर्शित किया गया हैं।

ग्राम मोरीजा की बाजार व डी.एल.सी. की दर 18,55,420 /– रूपये अक्षरे अट्ठारह लाख पचपन हजार चार सौ बीस रूपये प्रति बीघा है को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय श्रीमान द्वारा अप्रार्थीगण को प्रतिकर देना निश्चित किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/2 व 3755/2 में तथा चाह खसरा नम्बर 3754 में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/1, 3755/1 में से 30 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 3753/1 के पश्चिमी सींव पर पूर्व से पश्चिम 30 फिट चौडाई में चौमूं से चन्दवाजी जाने वाली रोड से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3753/2, 3755/2 तक प्रदान किये जोन के आदेश प्रदान किये जाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि वर्णित मद संख्या 1 के उत्तर की ओर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अर्सा पूर्व से चालू रास्ते को बन्द कर निर्मित की गई दीवार में से लगभग 7 फिट ऊंची पुख्ता दीवार को 30 फिट चौडाई तक तुडवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शें में अंकित किए जाने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित आयें। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण स्वयं ने अपने प्रा0 पत्र के मद सं. 2 में सशपथ से पुष्टित कथनों से स्वीकार किया है प्रार्थीगण अपने Admitted versions से कानूनन तथा न्यायानुसार पाबन्द है इतना ही नही प्रस्तुत मद नम्बर – 4 के कथनों में भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में काश्त करने में आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पडता हैं। प्रार्थीगण प्रस्तावित नया रास्ता कायम कराने के कानूनन व न्याय अनुसार अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण के उपरोक्त सशपथ स्वीकृत कथनों से यह सुस्पष्ट रूप से व प्रथम दृष्टिया साबित है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त आराजीयात में आने जाने तथा उनकी उक्त कृषि भूमियों काश्त करने में आने जाने काश्त व प्रत्येक प्रकार से काबिज काश्त होकर लाभ उठाने के लिये on-spat alternative रास्ता है जिसका वोह उपयोग उठा रहे है जिस का उन्होने बराए बदनीयत प्रस्तुत प्रार्थना में कोई विवरण नही लिखा है प्रार्थीगण अपनी असुविधा के आधार पर नया प्रश्नगत वादग्रस्त रास्ता कायम करने के लिए अधिकारी नही है प्रार्थीगण स्वच्छा हाथों से (With Clean hands) मान्य न्यायालय के समक्ष नही आये हैं।

प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 3753/2 व 3755/2 में आने जाने का शुरू से अब तक रास्ता मौजूद है जिसका वह उपयोग कर रहे है जिसके सम्बन्ध में उन्होनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 व 4 में स्पष्ट कथन लिखे है। प्रार्थीगण कानूनन व न्यायानुसार उसी स्थल पर रास्ता कायम कराने के अधिकारी है अन्य किसी स्थल पर नही।

विपक्षीगण की आराजी खसरा नम्बर 3753/1 की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण 93 मीटर लम्बा पुख्ता पत्थरों का 6 फुट गहरी नींव पर प्लिन्थ से 8 फुट 16 फुट ऊंचा निर्मित है प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग व शब्द ए से बी भाग की आराजी में विपक्षीगण ने उन्नत किस्म के विभिन्न प्रकार के वृक्ष निबू, अमरूद, चीकू, लेसवा, अनार, मौसमी आदि के लगभग 95 पीचानवे वृक्ष लगा रखे है जिन पर फल आ रहे है छायादार वृक्ष भी है इसी हिस्से में लाईटे लगाकर चार लम्बे खडे है प्रार्थीगण कानून तथा न्यायानुसार इन वृक्षों को नष्ट कराने तथा खम्बों को उखाडने के कानूनन अधिकारी नही है।

उत्तरदाता विपक्षीगण उपरोक्त मदों में अभिलिखित अपने पूर्ण कथनों को सुरक्षित रखते हुए विकल्प में विपक्षीगण का यह भी कथन है उत्तरदायी विपक्षीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 3755/1 की पूर्वी दीवार के पूर्व की ओर आराजी खसरा नम्बर 3756 जो जयपुर जे.डी.ए. की खातेदारी की पडत जमीन है तथा खसरा नम्बर 3758 बंजड जमीन जिसमें कई वर्षो पुराने जुगादू कुचे खडे है जिसका श्री रामरतन पुत्र लक्ष्मीनारायण खातेदार है यह भूमि उत्तर से दक्षिण में आने जाने का रास्ते के काम आती है स्थित है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 3755/2 की उत्तरी सीमा तक आता जाता है आजा सकता है रास्ता कानूनन कायम करा सकते है आसानी से दिया जा सकता है इसी प्रकार विपक्षीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 3753/1 की पूर्व की ओर निर्मित दीवार के पूर्व में पडत जमीन खसरा नम्बर 3752 जो मोहरी देवी व गुलाब देवी की खातेदार की है तथा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 3659 जो बद्रीनारायण व रामावतार, राजेन्द्र, अरविन्द की खातेदारी स्थित हैं। इसमें भी प्रार्थीगण रास्ता मांग सकते है जो आसानी से दिया जा सकता है प्रार्थीगण अपनी सुविधा व सुलभता के आधार पर प्रश्नगत नया रास्ता कायम कराने के अधिकारी नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र 251 (क) खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकार उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उनकी खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से ट्रेस में दर्शाये अनुसार मार्ग उपलब्ध करवाया जावें।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर ऐतराज करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में से आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इस बात की ताईद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की खसरा गिरदावरी से भी होती है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है जिस पर चारों ओर पुख्ता दीवार बना रखी है इसमें फलदार पेड पौधे लगे हुए है। प्रार्थीगण रास्ते की आड में उन्हे हैरान परेशान करना चाहते है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से ही भूमि खरीद की थी उस समय भी विक्रय पत्र में रास्ता छोडनें/देने की बात का कभी उल्लेख नहीं किया। प्रार्थीगण ने राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत करके रास्ता उपलब्ध न होने की रिपोर्ट करवायी है जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए ही उनके कुटुम्ब के लोगों की खातेदारी भूमि है जहां से अनका आवागमन चालू है। यदि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है तो उन्हें अपने कुटुम्बजन को पक्षकार बना कर रास्ता मांगा जाना चाहिए था।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिकार्ड एवं जवाब का गंभीरतापूर्वक अध्ययन मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैं।

- क्या प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध है या नही।
- क्या एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग का विकल्प उपलब्ध हैं ?
- एकाधिक वैकल्पिक मार्ग में से न्यूनतम दूरी का मार्ग कौनसा हैं ?

तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा गूगल द्वारा लिया गया नक्शा एवं मौके पर काम में लिये जा रहे मौजूदा रास्ते को प्रदर्शित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रास्ते का अभिप्राय केवल रिकार्डेड रास्ता नहीं है बल्कि खातेदार का अपनी जोतो तक पहुंचने के लिए मौके पर चालू बारहमासी रास्ता हैं। यदि मौके पर ऐसा रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग काश्तकार आवागमन हेतु निर्बाध रूप से कर रहा है तो वह अन्य रास्ता चाहने का अधिकारी नहीं है। उपलब्ध रिपोर्ट एवं रिकार्ड फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोतों तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग उपभोग अभी तक वह निर्बाध रूप से कर रहा है इस बात की ताईद

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के खेतो की खसरा गिरदावरी से भी होती है जिससे साबित होता है कि वह अपनी खातेदारी भूमि पर खेती कर उपज प्राप्त कर रहा हैं।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.03.2012 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें भी निर्देशित किया है कि:–

(1) The necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(2) Particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved.

यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रार्थीगण के द्वारा जिस रास्ते का उपयोग किया जा रहा है उसे बंद कर दिया गया है तो भी प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वे अप्रार्थीगण की पक्की दीवार एवं फलदार वृक्षों को तुडवा कटवा कर नये रास्ते की मांग करें।

सर्वप्रथम उसे उसी रास्ते की मांग करनी चाहिए जिसका वह प्रयोग करता आ रहा हैं। यदि वह रास्ता लम्बा पडता है तो उसे न्यूनतम दूरी वाले रास्ते की मांग करनी चाहिए। उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लगते हुए उनके कुटुम्बजन की खातेदारी भूमि है जिससे भी वह रास्ता प्राप्त कर सकता है ओर दूरी समान ही है परन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा न करके अप्रार्थीगण की पक्की बाउण्ड्रीवाल कब्जेशुदा भूमि से रास्ते की मांग करना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा ही विक्रय की गयी थी। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि से आवागमन था तो वे बेचान के दौरान विक्रय पत्र में अवश्य ही इस तथ्य का उल्लेख करते। परन्तु प्रार्थीगण ने इस तरह का कोई तथ्य/दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्याय के समक्ष नहीं आये है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मोरीजा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner